

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पिटल रोड,

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०:- PMAA/PRN/SHEIKHPURA
RAM KRISHNA NAGAR / G+3 /65/2019 - 67

पटना, दिनांक- 23.05.2020

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री सौरभ कुमार, प्रबंध निदेशक,
आयुराध्या कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०,
पिता-स्व० मेघनाथ सिंह
मोहल्ला-आजाद पथ,
थाना-गर्दनीबाग
जिला-पटना।

विषय:- प्लान केस संख्या-PMAA/PRN/SHEIKHPURA
RAM KRISHNA NAGAR / G+3 /65/2019 की स्वीकृति के संबंध में।

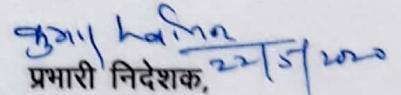
महाशय,

आपके आवेदन सं०:- PMAA/PRN/SHEIKHPURA
RAM KRISHNA NAGAR / G+3 /65/2019 दिनांक-11.10.2019 के संदर्भ में श्री सौरभ कुमार प्रबंध निदेशक, पिता श्री स्व० मेघनाथ सिंह, मोहल्ला आजाद पथ, थाना-गर्दनीबाग भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा-शेखपुरा, सर्वे थाना-फुलवारी, थाना-रामकृष्णा नगर, Tauzi No-181, थाना सं०-111, सर्वे प्लॉट संख्या-412(अंश) खाता सं०-97 जिला, पटना में आवासीय भवन, (G+3) के दिनांक-12.12.2019 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन, प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 316.05m² का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. भूखण्ड के सामने दक्षिण में वर्तमान सड़क 7.32 मी० से 7.33 मी० चौड़ी सड़क अवस्थित है। भूखण्ड के पूरब में 15 फीट (4.58 m) चौड़ी सड़क अवस्थित है। 6.10 मी० चौड़ी सड़क के लिए आवेदक द्वारा 2.5 फीट (0.76मी०) भूपट्टी छोड़ा गया है जिसे नक्शा में दर्शाया गया है।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास, सड़क एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि 2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5) के आलोक में करना होगा।
11. बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
12. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।

विश्वासभाजन,


प्रभारी निदेशक,

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार, पटना।